कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 1208 /14–10, अलीगढः दिनांकः सितम्बर, 25 ,2021

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन,
सिकार–।। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड,
एस0सी0ओ0 बे सं0 05 से 10, सेक्टर– 16ए,
फरीदाबाद, हरियाणा–121002।

विषयः– **सिकार–।। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा सिकार– ।। अलीगढ़ से 765 के0वी0 डी/सी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– वरिष्ठ मैनेजर, टी0एल0सी0, सिकार–।। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पलवल का पत्रांक NR1/Aligarh-Sikar_II/DFO/Aligarh दिनांक 06.05.2021 एवं NR1/SATL/Forest/Aligarh /02 दिनांक 10.09.2021

उपरोक्त विषयक के संदर्भित पत्र द्वारा सीकार–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा सीकार–II से अलीगढ़ तक 765 के0वी0 डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण के संबंध में टोपोशीट पर प्रदर्शित प्रस्तावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज एवं मुख्य प्रबन्धक, सिकार–।। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पलवल द्वारा दिनांक 05.08.2021 को संयुक्त रूप से किया गया। प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज द्वारा पत्र सं0 46/14–1 दिनांक 17.09.2021 द्वारा प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित पारेषण लाइन आरक्षित/संरक्षित वनभूमि से नहीं गुजरती है एवं प्रस्तावित निर्माण कार्य में कोई भी वृक्ष बाधक न होना अवगत कराया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पारेषण लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल गैर संरक्षित वनभूमि है, जिस हेतु इस वन प्रभाग को निर्माण कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि पारेषण लाइन निर्माण हेतु एलाइनमेंट को न बदला जाये, इसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा किसी तथ्य को पूर्णतः प्रकट न करने पर किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

25/09/21

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक /14–10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज को उनके पत्र सं0 46/14–1 दिनांक 17.09.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

D.Man-1/Land Transfer Projects/Common letters